न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दूदू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (आर.ए.एस)

अपील संख्या 05/2021

निर्णय दिनांक – 14/03/2022

1. शिवराज सिंह पुत्र श्री बन्ने सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम हथेली, तहसील फागी, जिला जयपुर। (मृतक)

1/1 श्री भंवर सिंह पुत्र स्व. श्री शिवराज सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम हथेली, तहसील फागी, जिला जयपुर।

1/2 श्रीमती मंजू कंवर पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्री स्व. श्री शिवराज सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम स्यार, तहसील सरवाड, जिला अजमेर।

1/3 श्रीमती राजेश कंवर पत्नी श्री भंवर सिंह पुत्री स्व0 श्री शिवराज सिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम गुलगांव, वाया लाम्बा हरिसिंह, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।

1/4 श्री सत्यदेव सिंह पुत्र स्व. श्री शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हथेली, तहसील फागी, जिला जयपुर।

1/5 श्रीमती संतोष कंवर पत्नी श्री गणपत सिंह पुत्री स्व. श्री शिवराज सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम उमरच, पोस्ट रामगंज बालाजी, तहसील व जिला बूंदी।

1/6 श्रीमती हंसा कंवर पत्नी श्री औंकार सिंह पुत्री स्व. श्री शिवराज सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम देवरिया, पोस्ट बराडा, तहसील सरवाड, जिला अजमेर।

1/7 श्रीमती छैल कंवर पत्नी स्व श्री शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हथेली, तहसील फागी, जिला जयपुर। – अपीलाण्ट

बनाम

1. योगेश कुमार पुत्र कन्हैयालाल, जाति रैगर निवासी 1093, किसान मार्ग, टोंक फाटक तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. हनुमान पुत्र पन्ने सिंह
3. भंवरसिंह पुत्र पन्ने सिंह
4. गोरधन सिंह पुत्र स्व. गंगासिंह
5. गोविन्द सिंह पुत्र स्व. गंगासिंह
6. संग्राम सिंह पुत्र स्व. गंगासिंह
7. दशरथ सिंह पुत्र स्व. गंगासिंह
8. बद्रीसिंह पुत्र स्व. गंगासिंह

   समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम हथेली, तहसील फागी, जिला जयपुर।

9. रामकिशन पुत्र भूरा
10. भगवान पुत्र भूरा
11. श्योजी पुत्र कल्याण
12. रामसहाय पुत्र कल्याण

    समस्त जातियान जाट, निवासी ढाणी नथमलपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

13. उपतहसीलदार, माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फागी, जिला जयपुर। – रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थित –

अपीलाण्ट के अधिवक्ता – श्री राजेन्द्र सिंह खंगारोत

रेस्पोडेण्ट्स की ओर से अधिवक्ता – श्री इकबा समद, श्री रामधन चौधरी, श्री भगवान सहाय शर्मा व श्री बनवारी लाल

निर्णय

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश क्रमांक भू.अ./14/893 दिनांक 14.08.2014 बअदालत उप–तहसीलदार माधोराजपुरा, तहसील फागी जिला जयपुर द्वारा पारित किया गया। जिसके तहत ग्राम हथेली, तहसील फागी के खसरा नं0 473/3 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 473/4 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा की नक्शा में तरमीम करने के आदेश पारित किया गया, के बाबत)

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश क्रमांक भू.अ./14/893 दिनांक 14.08.2014 बअदालत उप तहसीलदार माधोराजपुरा, तहसील फागी जिला जयपुर द्वारा पारित किया गया। जिसके तहत ग्राम हथेली, तहसील फागी के खसरा नं0 473/3 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 473/4 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा की नक्शा में तरमीम करने का आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिसका संक्षिप्त सार निम्नानुसार है –

1. राजस्व ग्राम हथेली, पटवार हल्का हथेली भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र नीमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि ख.नं. 473/1 रकबा 40 बीघा 15 बिस्वा, ख.नं. 473/2 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा, ख.नं. 473/3 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा, ख.नं. 474/4 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा स्थित है।

2. यह कि राजस्व अभिलेखों में 473/1 रकबा 40 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट नम्बर 2 लगायत 12 के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज एवं अंकित चली आ रही है, जो अपने अपने कानूनी अधिकारों के अनुसार मनवट के आधार पर मौके पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित खसरा नंबर 473/1 के राजस्व अभिलेखों में गोपालसिंह पुत्र बालसिंह तथा रूपकंवर बेवा किशन सिंह का नाम गलत दर्ज है। गोपाल सिंह का लगभग 20 वर्षों पूर्व देहान्त हो चुका है। अपीलाण्ट्स की ओर से स्वरूप कंवर व गोपाल सिंह के वारिसान के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फगी की अदालत में एक दावा बउनवानी भंवरसिंह वगै. बनाम गोरधन सिंह वगै. बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु विचाराधीन है।

3. यह कि राजस्व ग्राम हथेली के खसरा नं. 473/2 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा की खातेदारी रेस्पोडेन्ट नम्बर 11 के नाम दर्ज व अंकित है तथा खसरा नं0 473/3 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा नं0 473/4 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा की खातेदारी रेस्पोडेन्ट्स नम्बर 1 के नाम दर्ज व अंकित है।

4. यह कि उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि के मूल खसरा नं0 473 रकबा 76 बीघा 14 बिस्वा था जो कि अपीलाण्ट की पैत्रिक खातेदारी की कृषि भूमि थी। जिस पर अपीलाण्ट् के पिता अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहे और उनके देहान्त के पश्चात अपीलाण्ट अपने कानूनी अधिकार व हिस्से की भूमि पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। राजस्व अभिलेख नक्शा लट्ठा में मूल खसरा नं0 473 रकबा 76 बीघा 14 बिस्वा दर्ज है जिसकी तरमीम नहीं हुई है।

5. यह कि खसरा नं0 473/3 व खसरा नं. 473/4 की पूर्व खातेदार सरजूदेवी पत्नी हनुमान बलाई निवासी ग्राम कलवाडा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर ने कुछ भू–माफिया गिरोह के व्यक्तियों एवं हल्का पटवारी से सांठ–गांठ व साजिश कर उक्त खसरा नं. 473/3 व 473/4 की नक्शा में तरमीम करने हेतु रेस्पोडेण्ट नम्बर 13 उप तहसीलदार माधोराजपुरा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक निल प्रस्तुत किया। जिस पर रेस्पोडेण्ट संख्या 13 उप तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज किये बिना ही अपीलाण्ट

को बिना पक्षकार बनाये, बिना नोटिस दिये, बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना साक्ष्य–सबूत लेखबद्ध किये हल्का पटवारी को मौका व रिकार्ड की जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिनांक 04.08.2014 को दिया और तत्पश्चात दिनांक 07.08.2014 को हल्का पटवारी ने सर्वथा गलत रिपोर्ट पेश कर दी और उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट नंबर 13 उप तहसीलदार ने उक्त प्रार्थना पत्र की पुश्त पर ही ऑफिस कानूनगो को आदेश दिनांक 14.08.2014 पारित कर तरमीम करने हेतु हल्का पटवारी हो आदेशित करने हेतु का आदेश प्रदान कर दिया और साथ ही हल्का पटवारी को भी पृथक से आदेश

क्रमांक भू0अ0/14/893 दिनांक 14.08.2014 पारित करके नक्शा में तरमीम करने के आदेश प्रदान कर दिये और साथ ही यह निर्देश भी दिया गया कि पूर्व के नक्शें में की गयी तरमीम के अनुसार वर्तमान नक्शें में तरमीम करें। जबकि पूर्व के नक्शें में कोई तरमीम नहीं की गयी थी। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार माधोराजपुरा द्वारा अपने उक्त आदेश में दिये गये उक्त निर्देश के आधार पर हल्का पटवारी को नक्शें में तरमीम करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

6. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार माधोराजपुरा ने प्रकरण दर्ज किये बिना ही अपीलाण्ट को बिना पक्षकार बनाये, बिना नोटिस दिये, बिना सुनवाई का अवसर दिये, विधि में स्थापित कानूनी प्रक्रिया को अपनाये बिना बाला–बाला अपीलाधीन आदेश पारित फरमा दिया। जिसकी कोई जानकारी अपीलाण्ट को नहीं दी गयी। अपीलाण्ट दिनांक 08.03.2017 को अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में अपनी तारामीरा की फसल कटाई कर रहा था तो रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने मौके पर आकर अपीलाण्ट को एलानियां धमकी दी कि हमनें उक्त खसरान् भूमि के नक्शें में तरमीम करवाने के आदेश दिनांक 14.08.2014 को ही करवा लिये है और आप जिस हिस्से पर फसल कटाई कर रहे है, यह हिस्सा मेरे नक्शें में मेरे नाम से दर्ज हो चुका है। इसलिए आप इस हिस्से का कब्जा मुझे सौंप दे अन्यथा बाहुबल का प्रयोग कर आपको इस हिस्से से बेदखल कर दिया जायेगा। रेस्पोडेन्ट नं. 1 की उक्त एलानियां धमकी से अपीलाण्ट आश्चर्यचकित हो गया और दिनांक 09.03.2017 को उप तहसील में जाकर जांच पडताल करके अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र दिनांक 09.03.2017 को ही प्रस्तुत कर दिया। जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 14.03.2017 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होने पर ही अपीलाण्ट को प्रथम बार दिनांकं 14.03.2017 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। इससे पूर्व कोई जानकारी नहीं थी। अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होते ही अविलम्ब यह अपील माननीय न्यायालय हाजा में पेश की गयी, जो कि जानकारी तिथि से अन्दर मियाद पेश है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.08.2014 से व्यथित होकर अपीलाण्ट की ओर से यह अपील निम्नलिखित आधारों पर पेश की जा रही है। –

आधार –

1. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि, विधान, न्याय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजात एवं प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के सर्वथा प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं तथ्यात्मक गम्भीर त्रूटि की है इसलिए अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज किये बिना ही, कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना ही, सह खातेदार अपीलाण्ट को बिना पक्षकार बनाये, बिना नोटिस दिये, बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये, बिना साक्ष्य–सबूत लेखबद्ध किये ही अपीलाधीन आदेश पारित फरमा दिया जो कि विधिक प्रावधानों के पूर्णतया प्रतिकूल होने के साथ साथ प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के भी सर्वथा प्रतिकूल होने की वजह से अपास्त किये जाने योग्य है।

4. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार माधोराजपुरा ने विवादित भूमि के संबंध में अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.08.2014 को पारित किया गया है जो क्षेत्राधिकार से बाहर है क्योंकि तरमीम के मामले में अपेक्षित जांच प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है। केवल हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकार विहीन होने के से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

5. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट व अन्य काश्तकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया और न ही गिरदावर हल्का से जांच करवायी और कानूनी बिन्दूओं पर गौर किये बिना ही कानून व तथ्यों की अनदेखी कर जल्दबाजी में एकपक्षीय मन्तव्य रखकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध, गैर कानूनी व प्रारम्भ से ही शून्य होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

6. यह कि हल्का पटवारी ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सर्वथा गलत रिपोर्ट पेश की थी। हल्का पटवारी ने अपनी फर्द मौका में खातेदारान का कब्जा –काश्त मौके के अनुसार नहीं बताकर सर्वथा गलत तरीके से बताया है। हल्का पटवारी मौके पर जाकर कोई जांच नहीं की। मौके के अनुसार फर्द मौका रिपोर्ट नहीं बनायी। हल्का पटवारी ने पटवार मण्डल में अपने कार्यालयमें बैठे बैठे पूर्व खातेदार सरजूदेवी व भू–माफिया गिरोह के व्यक्तियों के लोभ–प्रलोभन में आकर उनके कहे अनुसार सर्वथा झूठी मौका रिपोर्ट पेश की है। जिस पर आई.एल.आर.(हल्का गिरदावर) की तथ्यात्मक रिपोर्ट व हस्ताक्षर भी नहीं है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने सर्वथा गलत मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो गैरकानूनी एवं विधि विरूद्ध होने की वजह से अपास्त किये जाने योग्य है।

7 यह कि हल्का पटवारी ने अपनी मौका रिपोर्ट में यह अंकित किया कि "यदि उक्त खसरा नम्बरों का नक्शें में तरमीम किया जाता है तो किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज नहीं है।" सर्वथा गलत अंकित किया है। जबकि हल्का पटवारी को मौका रिपोर्ट तैयार करते समय यह रिपोर्ट करनी चाहिए थी कि मूल खसरा नं. 473 के बट्टा नम्बरों के खातेदारों व पडौसी काश्तकारों को कोई आपत्ति नहीं है। हल्का पटवारी मौके पर गया ही नहीं। अगर पटवारी हल्का अपीलाण्ट को जानकारी देता तो उक्त गलत रिपोर्ट पर उसीवक्त तत्काल प्रभाव से अपीलाण्ट की ओर से एतराज कर दिया जाता, परन्तु पटवारी हल्का ने सम्पूर्ण कार्यवाही चोरी छिपे, सर्वथा गलत कार्यवाही की है।

8. यह कि ख.नं. 473/1, ख.नं. 473/2, ख.नं. 473/3, ख.नं. 474/4 के मूल खसरा नं0 473 अपीलाण्ट की पैत्रिक खातेदारी की कृषि भूमि थी। जिस पर अपीलाण्ट् के पिता अपने जीवनकाल मे काबिज काश्त रहे और उनके देहान्त के पश्चात अपीलाण्ट अपने कानूनी अधिकार व हिस्से की भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। राजस्व अभिलेख नक्शा लट्ठा में मूल खसरा नं0 473 रकबा 76 बीघा 14 बिस्वा दर्ज है जिसकी तरमीम नहीं हुई है। मूल खसरा नं0 473 की प्राप्त नकल में चिन्हित चिन्ह "ए,बी,सी,डी" स्थान पर अपीलाण्ट आपने हिस्से को ऊपजाऊ बनाने, विकसित करने में अपीलाण्ट ने लाखों रूपये व्यय किये है। अपीलाण्ट के काबिज स्थान को रेस्पोडेन्ट नं. 1 खसरा नं. 473/4 बता रहा है जो सर्वथा गलत एवं मौके की काबिज स्थिति के विपरीत है। अपीलाण्ट के काबिज भाग को किसी भी सूरत मे नक्शा लट्ठा में खसरा नं. 473/4 चिन्हित नहीं किया जा सकता। अपीलाण्ट के काबिज भाग को खसरा नं0 473/1 का भाग ही माना जा सकता है। अपीलाण्ट ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की उक्त भूमि के चारो तरफ सीमा/हद कायम कर रखी है। इस आधारपर आदेश अपास्त किये जाने योग्य है

9. यह कि हल्का पटवारी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 07.08.2014 के मौतबिर/गवाह जगदीश सिंह, गजराज सिंह, वगै. ने खसरा नं. 473/3 व 473/4 की पूर्व खातेदार सरजूदेवी से उक्त खसरान की भमि को क्रय करने का इकरार नामा करवा रखा था। इसलिए जगदीश वगै0 भूमि माफिया गिरोह ने हल्का पटवारी को प्रलोभन में लेकर चोरी छिपे उक्त गलत मौका रिपोर्ट तैयार करवायी है। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

10. यह कि खसरा नं0 473/3 व खसरा नं. 473/4 की पूर्व खातेदार सरजूदेवी पत्नी हनुमान बलाई निवासी ग्राम कलवाडा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर ने कुछ भू–माफिया गिरोह के व्यक्तियों एवं हल्का पटवारी से सांठ–गांठ व साजिश कर उक्त खसरा नं. 473/3 व 473/4 की नक्शा में तरमीम करने हेतु रेस्पोडेण्ट नम्बर 13 उप–तहसीलदार माधोराजपुरा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक निल प्रस्तुत किया। जिस पर रेस्पोडेण्ट संख्या 13 उप–तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज किये बिना ही अपीलाण्ट को बिना पक्षकार बनाये, बिना नोटिस दिये, बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना साक्ष्य–सबूत लेखबद्ध किये हल्का पटवारी को मौका व रिकार्ड की जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिनांक 04.08.2014 को दिया और तत्पश्चात दिनांक 07.08.2014 को हल्का पटवारी ने सर्वथा गलत रिपोर्ट पेश कर दी और उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट नंबर 13 उप–तहसीलदार ने उक्त प्रार्थना पत्र की पुश्त पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर

ही ऑफिस कानूनगो को आदेश दिनांक 14.08.2014 पारित कर तरमीम करने हेतु हल्का पटवारी को आदेशित करने हेतु का आदेश प्रदान कर दिया और साथ ही हल्का पटवारी को भी पृथक से आदेश क्रमांक भू0अ0/14/893 दिनांक 14.08.2014 पारित करके नक्शा में तरमीम करने के आदेश प्रदान कर दिये और साथ ही यह निर्देश भी दिया गया कि पूर्व के नक्शें में की गयी तरमीम के अनुसार वर्तमान नक्शें में तरमीम करें। जबकि पूर्व के नक्शें में कोई तरमीम नहीं की गयी थी। न्यायालय उप तहसीलदार माधोराजपुरा द्वारा अपने उक्त आदेश में दिये गये उक्त निर्देश के आधार पर हल्का पटवारी को नक्शें में तरमीम करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

11. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज किये बिना ही, कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना ही, सह खातेदार अपीलाण्ट को बिना पक्षकार बनाये, बिना नोटिस दिये, बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये, बिना साक्ष्य–सबूत लेखबद्ध किये ही मात्र एक साधारण प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश आपस्त किये जाने योग्य है।

12. यह कि उपरोक्त वर्णित खसरान की भूमि के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी की अदालत में अपीलाण्ट की ओर से एक दावा बउनवानी भंवरसिंह वगै बनाम गोरधन सिंह वगै. बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु विचाराधीन है। उक्त वाद मे पक्षकारान के मध्य मौजूद विवाद का निस्तारण होना है। अपीलाधीन आदेश की आड में रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 मौका व राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने में सफल हो गया तो उक्त वाद के निर्णय पर विपरीत प्रभाव पडेगा और पक्षकारान के मध्य वाद बाहुलता होकर अनेको विचारण लम्बित हो जायेगें। जिससे न्याय व न्यायालय पर भार बढेगा। उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित कर रखा है। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर करवायी जाकर नोटिस रेस्पोडेण्ट्स जारी कर तलब किया गया। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओ को बहस हेतु निवेदन किया। मूल रिकार्ड पेश नही होने पर विद्वान अधिवक्ता ने आपत्ति जाहिर की है। तथा अपने कथन में कहा की मूल रिकार्ड पेश करने हेतु काफी अधिक समय व्यतीत हो चुका है। अतः यह न्याय निर्णय में हो रही देरी के कारण विधिक सिद्वान्तो के विरूद्व है। अतः निर्णय किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ताओ की आपत्ति पर मनन करने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय राजस्व मंडल राजस्थान द्वारा आदेश दिनांक 27.09.2019 में मूल अपील एक माह में निस्तारित करने के निर्देश प्रदान किये गये है। प्रकरण में सर्वप्रथम दिनांक 20.05.2017 को अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली मंगवायी गयी थी जो 52 पेशियों व 12 स्मरण पत्र जारी किये जाने के बावजूद मूल पत्रावली अधोहस्ताक्षरकर्ता को न तो प्रस्तुत की गयी न ही प्रतिरक्षा में उपस्थित होकर कोई साक्ष्य/सबूत/कथन, लिखित/मौखिक प्रस्तुत किया गया जो कि न्यायालय के प्रति अधीनस्थ कारकूनों की गंभीर लापरवाही दर्शाता है। उपखण्ड अधिकारी फागी को इस प्रकरण में पृथक से जांच हेतु लिखा जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः बाद अवलोकन पत्रावली एंव बहस उक्त अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार माधोराजपुरा द्वारा साधारण प्रार्थना पत्र पर पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक भू.अ./14/893 दिनांक 14.08.2014 को अपास्त किया जाता है एवं अपील में वर्णित खसरा नंबरान की दिनांक 14.8.2014 से पूर्व की स्थिति को बहाल किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार फागी/माधोराजपुरा को पालना हेतु प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 14/03/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू